



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-I/13633/2025-IR-17-159-ए०एस०/67 दिनांक 10-06-2025

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/ मध्यांचल/ पश्चिमांचल/ दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि०, एवं केस्को,
वाराणसी/ लखनऊ/ मेरठ/ आगरा एवं कानपुर।

विषय- उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अन्तर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध किये जाने विषयक।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-I / 983941-2025 दिनांक 05.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

Pranav

(प्रदीप कुमार)

महप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/13633/2025-(ii), औ०सं०/2025, तदिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ०प्र० शासन (ऊर्जा अनुभाग-2) की अधिसूचना आदेश संख्या-I / 983941-2025 दिनांक 05.06.2025 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० रा० वि० उ० नि० लि०/उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि०/एस० एल० डी० सी० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०)/ वित्त/ वितरण/ वाणिज्य/ कारपोरेट प्लानिंग/आई० टी० उ०प्र० पा० का० लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०, उ०प्र० रा० वि० उ० नि० लि०/उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि० शक्ति भवन, लखनऊ।

7. अपर सचिव-I/ II /III, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
 8. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
 9. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 11. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
 12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 13. उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र, 23-ए०पी० सेन रोड, लखनऊ।
 14. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
 15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), क०सं०-4०7, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
- संलग्नक:- यथोपरि।



(प्रदीप कुमार)

महाप्रबन्धक (औ०सं०)

संख्या-I/13633/2025-(iii), औ०सं०/2025, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के समस्त श्रम/सेवा संघों को उ०प्र० शासन की उक्त अधिसूचना के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।

संलग्नक:- यथोपरि।



(प्रदीप कुमार)

महाप्रबन्धक (औ०सं०)

ई-मेल द्वारा प्राप्त

क्रम-संख्या-89



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 5 जून, 2025

ज्येष्ठ 15, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या 1/983941-2025

लखनऊ, 5 जून, 2025

अधिसूचना

आदेश

3181

No.

/Dir (PM&A)/PCL/2025

R.D.

D.D.

6/6/25
9/6/25

Dir(P&A)

05.06.25

(शशी शेखर यादव)

अपर निजी सचिव

प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

GM(IR)

1/6/25

06/6/25

अपर निजी सचिव

निदेशक (ऊर्जा एवं प्रशासन)

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय विगत में जारी अधिसूचना संख्या 866/24-पी-2-24-1(121)/04, दिनांक 06.12.2024 को अवक्रमित करते हुए इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2-उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3-उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 4-कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी, कैस्को, 5-मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 6-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 7-पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ, 8-दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा और 9-U.P. Renewable & EV Infrastructure Ltd, लखनऊ के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल महोदय अग्रेतर निर्देश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

GM (IR) Camp

No.....89.0.....

Date...1.6.25

spo

Pradeep Kumar

GM (IR)

54 RPH (Urja Anubhag-2) 2025 Data 7e

10/6/25

GM (IR)

आज्ञा से,

राजकुमार,

विशेष सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. I/983941-2025, dated June 5, 2025 :

No. I/983941-2025

Dated Lucknow, June 5, 2025

WHEREAS the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. XXX of 1966), the Governor, by superseding the previous notification no. 866/24-P-2-24-1(121)/04, dated 06.12.2024, is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the *Gazette*, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 4. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 5. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 6. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 7. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 8. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra, 9. U.P. Renewable & EV Infrastructure Ltd, Lucknow.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the *Gazette*.

By order,
RAJKUMAR,
Vishesh Sachiv.

(छद्म प्रमाणित)
प्रमाणित प्रमाण
कागज प्रमाण
प्रमाणित प्रमाण